	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.8.21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 3/9/21 को पेश हो।	
.9.21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्ष बहस आयन्दा करना चाहते है बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है, वास्ते पत्रावली उभयपक्षो की बहस हेतु नियत दिनांक 10.9.21 को पेश हो।	
9/21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 24/9/21 को पेश हो।	
.4.9.21	उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 23.11.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
23/11/21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो ने बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 2.12.21 को पेश हो।	
.12.21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रार्थिया ने बहस के दौरान अपने [illegible] अराजी नं. 2232/1, 2233/1, 2[illegible] हेतु रास्ता अप्रार्थीगण [illegible] की आराजी नं. 2242, 2228, 2232 मे से 12 [illegible] चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:07:25 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यकता नही है। प्रार्थिया
प्रार्थिया को रास्ते की आवश्यकता नही है। प्रार्थिया
स्वयं की आराजियात मे ही होकर आ जा रही है। अतः
प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया व तहसीलदार माण्डल द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया कि प्रार्थिया की आराजी मे आवागमन हेतु कोई रेकार्डेड रास्ता विद्यमान नही है। एव वर्तमान मे अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः

आदेश :

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया की आराजी ग्राम केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं. 2232/1 रकबा 12 बिस्वा 2233/1 रकबा 16 बिस्वा, 2236 रकबा 16 बिस्वा की भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण 01 लगायत 09 की आराजी नं. 2252 रकबा 01 बीघा, 2228 रकबा 04 बीघा 2232 रकबा 10 बिस्वा मे से 12 फीट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है। 12 फीट चौड़ाई के रास्ते मे काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की [illegible] D.D. प्रार्थिया से प्राप्त कर अप्रार्थीगण 01 [illegible] की भूमि [illegible] भुगतान करे. अप्रार्थीगण मे दर्ज कर [illegible] भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार माण्डल को लिखा जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:07:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा